



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-23042024-253825
CG-RJ-E-23042024-253825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1683]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 23, 2024/वैशाख 03, 1946

No. 1683]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 23, 2024/VAISAKHA 03, 1946

रेल मंत्रालय
उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)
अधिसूचना
जयपुर, 23 अप्रैल, 2024

का.आ. 1770(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11), की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित उपखंडों, स्तम्भों (4) में उल्लिखित जिलों के संबंध में राजस्थान राज्य में उत्तर पश्चिम रेलवे के “मेड़ता सिटी- रास (51.004) नयी बड़ी लाइन एवं मेड़ता रोड स्टेशन पर बाईपास लाइन (4.50) परियोजना की विशेष रेल परियोजना” के सन्दर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम सं	सक्षम प्राधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उप खंड अधिकारी, मेड़ता	मेड़ता	नागौर

2.	उप खंड अधिकारी, रियांबड़ी	रियांबड़ी	नागौर
3.	उप खंड अधिकारी, जैतारण	जैतारण	ब्यावर

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.& नि/443599200 भाग-8]

ओम प्रकाश तंवर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)-द्वितीय

MINISTRY OF RAILWAYS

North Western Railway (Construction)

NOTIFICATION

Jaipur, the 23rd April, 2024

S.O. 1770(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as 'Competent Authority' to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway project of "New BG Line Merta City (51.004 Km) and by pass line at Merta Road Station (4.50 KM) of North Western Railway" in the state of Rajasthan relating to sub division mentioned in column (3), Districts mentioned in Column (4) of the said Table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE
Special Railway Project

Sr. No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub Divisional Officer, Merta	Merta	Nagaur
2	Sub Divisional Officer, Riyan Badi	Riyan Badi	Nagaur
3	Sub Divisional Officer, Jaitaran	Jaitaran	Beawar

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.-VIII]

OM PRAKASH TANWAR, Chief Administrative Officer (Const.)-II